न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2023/654
मिसल नम्बर–84 / 2023

1.फूलचन्द उम्र 43 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ मूण्डा जाति माली
2.गोपाल उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ मूण्डा जाति माली
3.हुकमचन्द उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री बद्रीलाल उर्फ मूण्डा जाति माली
4.सुमित्रा बाई उम्र 40 वर्ष पुत्री श्री बद्रीलाल उर्फ मूण्डा जाति माली
निवासीगण गिरधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 8/7/25

उपस्थितिः–
1.श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी।
2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की अन्य आराजीयात के साथ आराजी ख0नं0 200/1 पूर्वी तरफ रकबा 0.1050 है0 वाके ग्राम गिरधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी की सह खातेदारा हीरा बाई पत्नी स्व0 बद्रीलाल उर्फ मूण्डा की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त आराजी के मालिक व काबिज प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी का पूर्व साबिक ख0नं0 200 रकबा 0.52 है0 था जिसका विभाजन प्रार्थीगण के पिता के जीवनकाल में वर्ष 2012 में हो जाने के कारण प्रार्थीगण के उक्त कृषि आराजी ख0नं0 200/1 रकबा 0.1050 है0 दर्ज की गई तथा शेष आराजी अन्य दीगर व्यक्तियों के दर्ज की गई जो प्रार्थीगण की उक्त आराजी के समीपस्थ स्थित है। प्रार्थीगण के खाते की उपरोक्त आराजी व अन्य व्यक्तियों के खाते की आराजी के मध्य मेड स्थित है तथा नक्शे में भी तरमीम हो रही है तथा उसी अनुरूप प्रार्थीगण अपनी आराजी पर मालिक व काबिज है। प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों के खाते की आराजी के मध्य सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी को लेकर विवाद होने लगा है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी को सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी न होने से अपनी कृषि आराजी को काश्त करने व विकसित करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थीगण की रेकार्डेड खातेदारी की कृषि आराजी ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

200/1 रकबा 0.1050 है0 वाके ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की पैमायश व सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के रेकार्डेड खातेदारी की कृषि आराजी ख0नं0 200/1 रकबा 0.1050 है0 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश्ज्ञ प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादग्रस्त आराजी 200/1 व इसके लगवा खसरा नं0 199 एक ही खातेदार फूलचंद पुत्र बद्रीलाल उर्फ मूण्डा वगै0 के खाते दर्ज रिकार्ड है। खसरा सं0 199 पर प्लानिंग की हुई है किन्तु 199 व 200/1 के मध्य कोई डोल कायम नहीं है न ही दोनो में बटवारे/विभाजन के कोई निशानात मौजूद है।

बाद रिपोर्ट दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया।

बहस उपरान्त पत्रावली में निहित दस्तावेंज यथा प्रार्थना–पत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार का बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों की पुष्टि होती है कि प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या ही सीमा–विवादों का होना जाहिर होता हैं जिसका समाधान बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी से ही किया जा सकता हैं ताकि मौंके की शांति–व्यवस्था बनी रहें। अतः प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता हैं कि ग्राम गिरधपुरा के खसरा नं0 200 एवं 200/1 के मध्य की मेड को बिना परिवर्तित किए खसरा नं0 200/1 एवं 199 के मध्य का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 8/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा